**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 942**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्तर**

**रेल पटरियों पर अधिक कार्य-भार होना**

**942. श्री नरेन्‍द्र कुमार स्‍वैन:**

 **क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

1. क्‍या मरम्‍मत कार्य के अभाव और यातायात के अत्‍यधिक बोझ के कारण रेल की पटरियां अच्‍छी हालत में नहीं हैं; और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और
2. नई रेल पटरियों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा बनाई गई कार्य योजना क्‍या है ताकि पुरानी रेल पटरियों की मरम्‍मत की जा सके?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क): रेलवे ट्रैकों को ट्रैक नवीकरण कार्यों के माध्यम से बदला जाता है, जिन्हें हर वर्ष बजट में स्वीकृत किया जाता है और ट्रैक नवीकरण कार्यों का निष्पादन एक सतत् प्रक्रिया है। ट्रैक नवीकरण कार्यों की योजना प्रत्येक वर्ष अग्रिम में बनाई जाती है और ट्रैक की हालत और निधि की समग्र उपलब्धता के अनुसार उनके निष्पादन कार्य की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और हर समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि ट्रैक, गाड़ियों के सुरक्षित चालन के लिए समुचित हालत में हों। यदि जिनमें धन, सामग्री आदि की कमी सहित विभिन्न कारणों से समय पर किसी खंड का नवीकरण नहीं किया जाता है तो उपयुक्त गति प्रतिबंध लगाए जाते हैं ताकि गाड़ियों का सुरक्षित चालन सुनिश्चित किया जा सके। 01.04.2017 तक, 7546 कि.मी. रेलपथ नवीकरण स्‍वीकृत किया गया है जिसमें से वर्ष 2017-18 के लिए 3600 कि.मी. का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है। सामान्‍यत:, रेलपथ नवीकरण कार्य स्‍वीकृति के दो से तीन वर्ष के भीतर पूरे कर लिए जाते हैं।

(ख): भारतीय रेल द्वारा मौजूदा नेटवर्क में वृद्धि के लिए विभिन्‍न उपाय किए गए हैं जिनमें गत तीन वर्ष अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में उच्‍च घनत्‍व वाले नेटवर्क पर भीड़-भाड़ की समस्‍या का निराकरण करने के लिए दोहरीकरण/तिहरी और चौहरी लाइन के लिए लगभग 12,690 कि.मी. की स्‍वीकृति; रेलों के लिए पूंजी व्‍यय 2014-15 के 58,718 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2015-16 में लगभग 93,795 करोड़ रू. और 2016-17 में 1,11,661 करोड़ रु. करना, 2017-18 के लिए योजना आकार 1,31,000 करोड़ रु. रखना, फील्‍ड अधिकारियों का निविदाओं और अनुमानों के लिए शक्तियां प्रत्‍यायोजित करना, जिसके परिणामस्‍वरूप अनुमानों और निविदाओं की स्‍वीकृति में लगने वाले समय में कमी आई है और अर्थक्षम परियोजनाओं के सुनिश्चित वित्‍तपोषण के लिए 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण के लिए मै. भारतीय जीवन बीमा निगम लि. से संस्‍थागत वित्‍तपोषण का करार किया गया है जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित निधि प्रावधान के लिए रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।

\*\*\*\*\*